

मांग संख्या ..
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल के द्वारा साड़ा ग्वालियर की आवासीय योजना के आंतरिक विकास हेतु दिये गये ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाना है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 199.80 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,99,80,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6003

मद क्रमांक 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल के द्वारा काउन्टर मैग्रेट (साडा) ग्वालियर के आंतरिक विकास के लिये स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मण्डल को किये जाने हेतु राशि रुपये 526.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,26,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

शंकर धाम योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 2

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा कॉल सेन्टर की स्थापना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष के दौरान रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 3

लोकायुक्त कार्यालय के पुलिस महानिदेशक हेतु नवीन वाहन क्रय किया जाना है। जिसके लिये रुपये 7.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। यह प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 4

म.प्र. शासन के अतिथि गृह मध्यालोक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02
मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 10

जिला सिंगरौली थाना बैठन में हुई गोली चालन घटना हेतु गठित दुर्घटना जांच आयोग के अध्यक्ष, सचिव एवं कर्मचारियों के लिये वेतन भत्ते, डाक एवं तार व्यय, दूरभाष व्यय, कार्यालय फर्नीचर का क्रय, लेखन सामग्री एवं फार्म, अन्य आकस्मिक व्यय तथा पेट्रोल तेल आदि मदों पर रुपये 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के लिये वाहन की आवश्यकता होने के कारण रुपये 22.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। यह प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत नवीन प्रशिक्षण शाला के निर्माण में सामग्री एवं उपकरणों का क्रय किये जाना है, जिस हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 11.94 करोड़ की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पूंजीगत मद में प्रावधानित राशि की बचतों से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,94,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत किराया, महसूल और स्थानीय कर मद में वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.13 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05
मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1 - 3

केन्द्रीय तथा जिला जेलें योजना अंतर्गत सफाई व्यवस्था, राशन का मूल्य/भोजन व्यय एवं कपड़े बिस्तर तथा टेंड मद में वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये 1.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 1

संस्थागत वित्त विभाग में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन हेतु राशि रुपये 14.54 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,54,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत इस राशि को मांग संख्या 07 के राजस्व अनुभाग मद से समर्पित कर पूंजी अनुभाग मद में प्रावधानित कर राशि रुपये 7.90 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

जिला प्रशासन के अंतर्गत भूमि का क्रय/अधिग्रहण के अंतर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	11
मुख्य शीर्ष	4851

मद क्रमांक 1

औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को सहायता हेतु राशि रुपये 480.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	6851
-------------	------

मद क्रमांक 2

औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को सहायता हेतु ऋण तथा अग्रिम के लिये राशि रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	12
मुख्य शीर्ष	2045

मद क्रमांक 1

ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि में अंतरण के लिये स्वीकृत राशि रुपये 155.00 करोड़ के स्थान पर रुपये 1,81,22,72,000 का अंतरण किया जाना है। अतः रुपये 26,22,72,000 का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,22,72,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	6801
-------------	------

मद क्रमांक 2

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क तथा उपकर की राशि को सतत् ऋण में परिवर्तित करने हेतु रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	13
मुख्य शीर्ष	2401

मद क्रमांक 1

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मानिटरिंग, माडलिंग एण्ड नेटवर्किंग योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	14
मुख्य शीर्ष	2403

मद क्रमांक 1 - 2

पशुपालन विभाग के अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना एन.ए.डी.ए.आर.एस. योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 3.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	15
मुख्य शीर्ष	2215

मद क्रमांक 1

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 50.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 50.00 लाख इस प्रकार कुल रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। राज्यांश के व्यय की पूर्ति मांग संख्या 64 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2225
-------------	------

मद क्रमांक 2

विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्ध घुमकड़ जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छातावासो /आश्रमों /सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में प्रवेशित विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति तथा गैस दरो में वृद्धि के कारण रुपये 25/- प्रति छात्र के मान से प्रदाय किये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 175.74 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,75,74,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2501
-------------	------

मद क्रमांक 3

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के उन्नयन एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नीरांचल परियोजना हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	19
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रसूति अवकाश सहायता हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	21
मुख्य शीर्ष	2020

मद क्रमांक 1

नगर और ग्राम निवेश योजना अंतर्गत कार्यालय भवन का किराया महसूल और स्थानीय कर हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2059
-------------	------

मद क्रमांक 2

माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपालन में डिक्रीधन के भुगतान मद में राशि रुपये 41,300 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,300 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या	24
मुख्य शीर्ष	5054

मद क्रमांक 1

रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण अंतर्गत निम्नानुसार 2 ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य रुपये 3746.78 लाख की लागत से किया जाना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (रु. लाख में)	प्रावधान
1.	विदिशा	विदिशा जिले में खरी फाटक रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	3498.78	100
2.	विदिशा	विदिशा जिले में भोपाल बीना रेल्वे लाईन की लेवल क्रॉसिंग क्र. 270 सोठिया फाटक के पास लिमिटेड हाईट सबवे का निर्माण	248.00	100
योग			3746.78	200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार 3 सड़क निर्माण कार्य रुपये 3225.33 लाख की लागत से किया जाना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लं. (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)	प्रावधान
1.	छतरपुर	चंदला बायपास मार्ग	9.00	2522.89	100
2.	ग्वालियर	पिछोर तिराहे से चिनोर तक मार्ग	3.50	328.17	100
3.	ग्वालियर	एन.एच. 75 से सुगर मिल तक मार्ग	3.50	374.27	100
योग			16.00	3225.33	300

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ग्रामीण सड़कों के निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निम्नानुसार 4 सड़क निर्माण कार्य रुपये 2969.39 लाख की लागत से किया जाना है। जिसकी

पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लं. (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)	प्रावधान
1.	नरसिंहपुर	रानी पिंडरई मार्ग से सगौनी तक मार्ग	4.30	346.55	100
2.	विदिशा	सांची उदयगिरी बासौदा मार्ग तक बायपास का निर्माण	14.00	2068.10	100
3.	विदिशा	विदिशा जिले में सोठिया फाटक से स्टेडिमय एवं कम्पोजिट भवन तक मार्ग	2.80	432.97	100
4.	होशंगाबाद	होशंगाबाद जिले के खरगावली से तमचरू मार्ग	2.20	121.77	100
			योग	23.30	2969.39
					400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से विदिशा जिले में विदिशा कुरवई मार्ग राजमार्ग क्र. 19 पर (एस.एच.19 पर कि.मी. 6/2 पर पुल का निर्माण रुपये 1670.32 लाख की लागत से किया जाना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	26
मुख्य शीर्ष	2205

मद क्रमांक 1

संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय अंतर्गत परीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 4.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास कार्य अंतर्गत राशि रुपये 4780.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	29
मुख्य शीर्ष	2015

मद क्रमांक 1 - 5

भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था हेतु विधानसभा चुनाव के लिये आतिथ्य व्यय, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय, परिवहन व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधा, विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 37.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	32
मुख्य शीर्ष	2015

मद क्रमांक 1

निर्वाचन के अंतर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत समाचारपत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत चलचित्र इकाई की स्थापना अंतर्गत रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत विशेष अवसरों पर प्रचार के अंतर्गत रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई के अंतर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

सड़क तथा सेतु के अंतर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 1

खाद्य विभाग के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना हेतु रुपये 1775.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप का प्रदाय योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रुपये 1500 प्रति विद्यार्थी की दर से निःशुल्क पुस्तके तथा लेखन सामग्री के लिये रुपये 500 प्रति विद्यार्थी की दर से राशि प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

विश्व बैंक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उच्च शिक्षा में सुधार योजना अंतर्गत अन्य व्यय, मशीने उपकरण मद में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 5

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 12.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 5.40 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 1.80 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 7.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 7

पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में केन्द्रांश के रूप में रुपये 335.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 22.95 लाख कुल रुपये 357.95 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,57,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 8 - 9

चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र - छात्राओं को शिष्यवृत्ति हेतु रुपये 200.00 लाख एवं लेपटाप प्रदाय किये जाने हेतु रुपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में कुल रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित प्रसूति अवकाश सहायता योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 11

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन क्लाइमेंट चेंज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मानिट्रिंग मॉडलिंग एण्ड नेटवर्किंग योजना के क्रियान्वयन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना के क्रियान्वयन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल योजना के क्रियान्वयन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 16

विश्व बैंक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उच्च शिक्षा में सुधार योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित 11 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में छात्रावास भवन निर्माण हेतु रुपये 55.50 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राशि रुपये 55.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये सिविल अस्पताल बड़वाह में आवासीय भवन का निर्माण लागत रुपये 150.00 लाख एवं जिला चिकित्सालय अनुपपूर में आवासीय भवन का निर्माण कार्य लागत रुपये 102.00 लाख से कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	44
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1 - 2

उच्च शिक्षा में सुधार योजना अंतर्गत अन्य व्यय, मशीने उपकरण आदि के लिये नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदाय योजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4202
-------------	------

मद क्रमांक 4

उच्च शिक्षा का सुधार योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	45
मुख्य शीर्ष	4702

मद क्रमांक 1

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजना अंतर्गत रुपये 75.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	47
मुख्य शीर्ष	2203

मद क्रमांक 1

अनुदान प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों के वेतन/भत्तों के भुगतान हेतु ब्लॉक ग्रांट के अतिरिक्त राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	48
मुख्य शीर्ष	4700

मद क्रमांक 1

नर्मदा मालवा गंभीर लिंक उद्वहन योजना के क्रियान्वयन पर रुपये 23.75 करोड़ का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मियों के मानदेय भुगतान एवं अंशदायी पेंशन योजना में संबंधित के खातों में जमा की जाने वाली राशि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1600.00 लाख की आवश्यकता है। होने वाले व्यय की पूर्ति मांग संख्या 41 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूलों में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मियों के मानदेय भुगतान एवं अंशदायी पेंशन योजना में संबंधित के खातों में जमा की जाने वाली राशि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1184.71 लाख की आवश्यकता है। होने वाले व्यय की पूर्ति मांग संख्या 41 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,84,71,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 3

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 150.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 150.00 लाख इस प्रकार कुल रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। राज्यांश के व्यय की पूर्ति मांग संख्या 41 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 4

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के उन्नयन एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नीरांचल परियोजना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

आयुक्त, हाथकरघा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय हाथकरघा विकास योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

बाढ़ मद (नगद दान) के अंतर्गत उतराखण्ड आपदा में प्रदेश के नागरिकों को भुगतान हेतु उतराखण्ड सरकार से राशि रुपये 18.59 करोड़ प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त इस मद में राशि रुपये 200.00 करोड़ अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,18,59,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

बाढ़ मद (नगद दान) के अंतर्गत अंतरण लेखा अंतरण राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अतिरिक्त राशि रुपये 34.94 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,94,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	61
मुख्य शीर्ष	2405

मद क्रमांक 1 - 2

भारत सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अंतर्गत बुन्देलखण्ड विकास हेतु प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

मांग संख्या	63
मुख्य शीर्ष	4225

मद क्रमांक 1

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश राशि रुपये 473.84 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,73,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	64
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप का प्रदाय योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

विश्व बैंक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उच्च शिक्षा में सुधार योजना अंतर्गत अन्य व्यय, मशीने उपकरण मद में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2203
-------------	------

मद क्रमांक 4

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 10.80 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 3.60 लाख राज्यंश के रूप में कुल रुपये 14.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2210
-------------	------

मद क्रमांक 5

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित प्रसूति अवकाश सहायता योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन क्लाइमेंट चेंज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मानिटरिंग मॉडलिंग एण्ड नेटवर्किंग योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना सब मिशन स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत मछुआ हितग्राहियों को मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण निधि अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण कराये जाने के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 36.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

विश्व बैंक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उच्च शिक्षा में सुधार योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित 11 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु रुपये 111.00 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 111.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,11,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये बालाघाट में जी.एन.एम. स्कूल का निर्माण लागत रुपये 1000.00 लाख एवं पी. सी. सेठी चिकित्सालय इंदौर का उन्नयन लागत रुपये 800.00 लाख से कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	72
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1 - 5

गैस राहत विभाग में कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल हेतु वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं ग्रेड-पे हेतु राशि रुपये 47.91 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,91,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

गैस राहत विभाग में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत हेतु महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता मद में राशि रुपये 15.82 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 9

गैस राहत विभाग में औषधालय हेतु महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता मद में राशि रुपये 30.26 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,26,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

गैस राहत विभाग में एस.ए. के चिकित्सालय हेतु महंगाई मद हेतु राशि रुपये 11.38 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

गैस राहत विभाग में पी.एम.सी. चिकित्सालय हेतु महंगाई भत्ता मद में राशि रुपये 5.95 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 14

गैस राहत विभाग में इंदिरा गांधी अस्पताल हेतु वेतन, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में राशि रुपये 163.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2235
-------------	------

मद क्रमांक 15

गैस राहत विभाग में गैस राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय में अतिरिक्त अमला हेतु मजदूरी मद में राशि रुपये 3.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

गैस राहत विभाग में गैस प्रभावित अनाथ बच्चों पर व्यय हेतु राशि रुपये 0.75 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय हेतु पेट्रोल एवं तेल मद हेतु राशि रुपये 0.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

चिकित्सा शिक्षा विभाग में दंत महाविद्यालय इंदौर संस्था में नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय हेतु बिजली एवं जल प्रभार मद में राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु सहायक अनुदान मद में राशि रुपये 4.30 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

आदिम जाति कल्याण विभाग में प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण एवं शहरी निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 106.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 2

नलकूपों का अनुरक्षण (हैंडपंपों का अनुरक्षण) केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत रुपये 600.00 लाख का व्यय होना संभावित है। योजना 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित है। राज्यांश की राशि रुपये 300.00 लाख मांग संख्या-20 मुख्य शीर्ष 4215 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 3

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना नीरांचल परियोजना हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 76

मद क्रमांक 1

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं के व्यय हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

हायर सेकेण्ड्री/हाई स्कूलों में बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छात्रों को लेपटाप प्रदाय करने के लिये नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।